अध्याय V

प्रशासनिक मंत्रालयों और मिनीरत्न सीपीएसई के बीच समझौता ज्ञापन का विश्लेषण

5.1 प्रस्तावना

समझौता ज्ञापन (एमओयू) चुने हुए मापदंडों पर लक्ष्य तय करने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय और केंद्र सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) के प्रबंधन के बीच एक पारस्परिक रूप से बातचीत किया गया समझौता है, आम तौर पर एक नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले और इन लक्ष्यों के निष्पादन को देखने के लिए वर्ष के अंत में परिणाम मूल्यांकन किया गया। इसमें सीपीएसई और सरकार के इरादे, दायित्व और पारस्परिक जिम्मेदारियां शामिल हैं और नियंत्रण और प्रक्रियाओं द्वारा प्रबंधन के बजाय परिणामों और उद्देश्यों द्वारा सीपीएसई प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में निर्देशित किया जाता है। सीपीएसई की सहायक कंपनियों को अपनी होल्डिंग कंपनियों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करना अपेक्षित है।

5.2 एमओयू नीति के कार्यान्वयन के लिए संस्थागत व्यवस्था

सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) सीपीएसई और प्रशासनिक मंत्रालयों के बीच एक सुविधा के रूप में कार्य करती है और सीपीएसई के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए एक तंत्र प्रदान करती है। यह एक ऐसी प्रणाली प्रदान करती है जिसके माध्यम से एमओयू लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और एमओयू के लिए दोनों पक्षों की प्रतिबद्धताओं का मूल्यांकन वर्ष के अंत में किया जा सकता है इसके अलावा एमओयू को अंतिम रूप देने के लिए आवश्यक तकनीकी इनपुटों में सुधार किया जा सकता है। इस संस्थागत व्यवस्था और उनके इंटर-लिंक का विवरण निम्नानुसार है:

- **पूर्व-वार्ता समिति:** पूर्व-वार्ता समिति (पीएनसी) में संयुक्त सचिव/सलाहकार जो डीपीई में एमओयू देख रहे हैं, सीपीएसई के साथ प्रशासनिक मंत्रालय के संयुक्त सचिव/सलाहकार, सीपीएसई, निदेशक (एमओयू) के डोमेन से संबंधित, सलाहकार (नीति आयोग), प्रत्येक सीपीएसई के संबंध में विस्तार में एमओयू लक्ष्यों की

जांच करने के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के निदेशक (एमओयू) एवं प्रतिनिधि शामिल हैं। पूर्व-वार्ता समिति की भूमिका (पहले एमओयू पर स्थायी समिति के रूप में जानी जाती है), निष्पादन मेंसुधार को मापने के लिए और लक्ष्य निर्धारण के लिए सबसे उपयुक्त और प्रासंगिक मापदंडों का निर्धारण करने में अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) की सहायता करनी होगी। आईएमसी की बैठक से पहले प्रत्येक मामले में पूर्व-वार्ता समिति (पीएनसी) की बैठक आयोजित की जाएगी, ताकि एमओयू मापदंडों और लक्ष्यों को देखने, चर्चा करने, बातचीत करने और सिफारिश करने पर विचार किया जा सके।

- **अंतर-मंत्रालयी समिति:** एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) टास्क फोर्स का एक वैकल्पिक तंत्र है जो तब तक एमओयू वार्ता, लक्ष्य निर्धारण और सीपीएसई के निष्पादन के मूल्यांकन के लिए तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करती हैं। आईएमसी में इसके अध्यक्ष के रूप में सचिव डीपीआई, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव या उनके प्रतिनिधि, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिवया उनके प्रतिनिधि, नीति आयोग के अतिरिक्त सचिव या इसके वरिष्ठ प्रतिनिधि इसके अन्य सदस्य हैं। सचिव, डीपीई किसी भी अधिकारी को सहयोगित कर सकता है जो आवश्यकता महसूस होने पर मामले में वित्त विशेषज्ञ है। समिति की संरचना में कोई भी बदलाव कैबिनेट सचिव के अनुमोदन से किया जाएगा। आईएमसी की भूमिका वर्ष की शुरुआत से पहले सीपीएसई के एमओयू लक्ष्यों को तय करने में एमओयू और डीपीई पर उच्च शक्ति समिति पावर कमेटी (एचपीसी) की सहायता करना और उस वर्ष के पूरा होने के बाद एमओयू का निष्पादन का मूल्यांकन करना है।

- **उच्च अधिकार प्राप्त समिति:** संस्थागत व्यवस्था के शीर्ष स्तर पर उच्च शक्ति समिति (एचपीसी) है, जिसकी अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष और वित्त सचिव, सचिव (व्यय), सचिव (योजना आयोग), सचिव (कार्यक्रम कार्यान्वयन), अध्यक्ष (सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड) और सदस्य के रूप में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में कैबिनेट सचिव करते हैं।सचिव (सार्वजनिक उद्यम) सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करता है।

एचपीसी ने अंतिम मूल्यांकन को मंजूरी दी कि एमओयू के दोनों पक्षों द्वारा किए गए वादों को अब तक कैसे पूरा किया गया है।

5.3 निष्पादन निर्धारण और रेटिंग के लिए एमओयू लक्ष्य

एमओयू लक्ष्यों के नियत करने में मूल दृष्टिकोण यह है कि लक्ष्य यथार्थवादी, विकास उन्मुख और आकांक्षी होने चाहिए।

2016-17 के लिए एमओयू दिशानिर्देशों ने 10 व्यापक मूल्यांकन मानदंडों की एक टोकरी प्रदान की जिसमें i) क्षमता उपयोग, ii) दक्षता मानदण्डों (भौतिक संचालन), iii) उत्तोलन निवल मूल्य, iv) निगरानी मानदण्ड, v) परिचालन के लिए टर्नओवर, vi) परिचालन लाभ/अधिशेष, vii) कमजोरी के प्रारंभिक लक्षण, viii) विपणन दक्षता अनुपात, ix) निवेश पर प्रतिफल, और x) अलग-अलग भारित के साथ क्षेत्र/सीपीएसई विशिष्ट लक्ष्य शामिल है। हालांकि, यह स्वीकार करते हुए कि सीपीएसई विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न परिस्थितियों में काम करता है, वर्ष 2017-18 के लिए एमओयू दिशानिर्देशों ने कहा कि वित्तीय निष्पादन को मापने के लिए तीन समान मानदण्ड होंगे अर्थात परिचालन से राजस्व, परिचालन लाभ और निवेश पर प्ररतिफल, (उदाहरण कर/निवल मूल्य का अनुपात) सभी सीपीएसई के वित्तीय निष्पादन को मापने के लिए कुल भार के साथ 50 *प्रतिशत,* सीपीएसई को छोड़कर जो कि सरकार के अनुदान या अनुदान वितरण के निष्पादन कार्य आदि पर निर्भर हैं। शेष 50 *प्रतिशत* भार के लिए, सीपीएसई जिस क्षेत्र में काम कर रहा है, उसके आधार पर चयन के लिए मापदंडों का एक मेनू सुझाया गया है। निष्पादन को मापने के लिए सबसे उपयुक्त और प्रासंगिक मानदंड, पूर्व-वार्ता समिति द्वारा अंतर-मंत्रालयी समिति को सुझाव दिए जाएंगे। सभी मामलों में अंतर-मंत्रालयी समिति ने पूर्व-वार्ता समिति द्वारा दिए गए सुझावों पर उचित निर्णय लेगी।

वर्ष 2017-18 के लिए एमओयू के लिए संशोधित दिशानिर्देश और 12.01.2018 को डीपीई द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार, आम तौर पर 'उत्कृष्ट' ग्रेडिंग के लिए लक्ष्य पिछले पाँच वर्षों में प्राप्त किए गए सर्वश्रेष्ठ से कम नहीं होना चाहिए और 'बहुत अच्छा' वर्तमान वर्ष की अपेक्षित उपलब्धि की तुलना में कम नहीं होना चाहिए (उस वर्ष से पहले का वर्ष जिसके लिए लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं)। जब तक कि निचले लक्ष्य

तय करने के विशिष्ट कारण नहीं हैं और प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा विधिवत समर्थन किया जाता है।

5.4 एमओयू स्कोर और रैंकिंग

एमओयू लक्ष्य निर्धारण और मूल्यांकन की प्रक्रिया नीचे दी गई है:

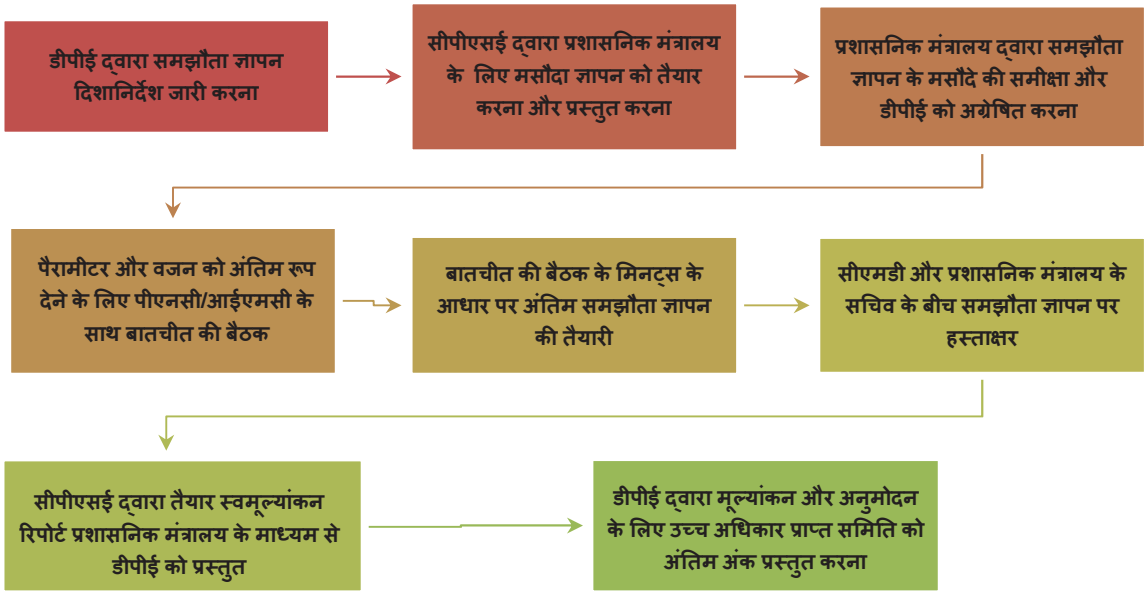

5.5 विश्लेषण का कवरेज

विभिन्न मंत्रालयों के तहत 75 मिनीरत्न[43] सीपीएसई हैं, जिनमें से 17 सीपीएसई का एक नमूना एमओयू विश्लेषण के कवरेज के लिए चुना गया था। इस मसौदा अध्याय में वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए इन 17 'मिनीरत्न' सीपीएसई के एमओयू का विश्लेषण शामिल है। वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए एमओयू को अंतिम रूप देने और मूल्यांकन से संबंधित विभिन्न पहलुओं की लेखापरीक्षा में जांच की गई। विश्लेषण के लिए चयनित 17 'मिनीरत्न' कंपनियों के 2016-17 से 2017-18 की अवधि के लिए उनके एमओयू रेटिंग का विवरण ***परिशिष्ट-XXIV*** में दिया गया है।

[43] *सीपीएसई जो पिछले तीन वर्षों में लगातार लाभ कमा चुके हैं और सकारात्मक निवल मूल्य की मिनिरत्न स्थिति के अनुदान के लिए विचार करने के लिए पात्र हैं।*

5.6 विश्लेषण का उद्देश्य

विश्लेषण का उद्देश्य यह आकलन करना था कि:

(i) एमओयूकोडीपीई दिशा निर्देशों के अनुसार अंतिम रूप दिया गया था और लक्ष्य यथार्थवादी थे और सीपीएसई की वार्षिक योजना के अनुसार;

(ii) सीपीएसई द्वारा प्रस्तुत सूचना/डेटा के सत्यापन के लिए डीपीई/प्रशासनिक मंत्रालयों में प्रभावी तंत्र था;

(iii) समझौता ज्ञापनों में सहमति के अनुसार सीपीएसई को सरकार से प्रतिबद्धता/सहायता प्राप्त हुई;

(iv) प्रशासनिक मंत्रालय/डीपीई को सीपीएसई द्वारा आवधिक रिटर्न/रिपोर्टें सौंपी गई; और

(v) उपलब्धियां एमओयू लक्ष्यों के अनुरूप थीं।

5.7 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए उनके प्रशासनिक मंत्रालयों और उनके निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (पीईआर) के साथ 17 चयनित मिनिरत्न सीपीएसई द्वारा हस्ताक्षरित एमओयू 2016-17 और एमओयू 2017-18 की जांच की। अग्रलिखित पैराग्राफ में लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की जाती है। सीपीएसई के उत्तर, जहाँ भी मिले, उपयुक्त रूप से शामिल किए गए हैं।

5.7.1 एमओयू का प्रस्तुतीकरण और हस्ताक्षर

वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए एमओयू दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रशासनिक मंत्रालय की मंजूरी के बाद एमओयू की प्रतिलिपि डीपीई, निति आयोग, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और टास्क फोर्स के सदस्य को क्रमशः 21 जनवरी 2016 और 31 जनवरी 2017 तक प्रस्तुत की जानी थी।हालांकि, वर्ष 2016-17 के लिए दिशा-निर्देश प्रारंभिक रूप से दिसंबर 2015 में जारी किए गए थे और अंततः 30 जून 2016 तक या अंतर-मंत्रालय समिति (आईएमसी) कार्यवृत्त के मुद्दे से 15 दिनों के भीतर, जो भी बाद में था; चरणबद्ध तरीके से समय सीमाओं को संशोधित किया गया था।

वर्ष 2017-18 के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर करने की समयसीमा 31 मार्च 2017 (अर्थात् वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले जो लक्ष्य तय किए गए थे) या आईएमसी कार्यवृत्त के मुद्दे से, जो भी बाद में हो। 21 दिनों के भीतर निर्धारित की गई थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एमओयू प्रस्तुत करने और हस्ताक्षर करने के लिए समयसीमा को बार-बार डीपीई द्वारा बदल दिया गया। सभी मामलों में, वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के बाद लक्ष्य निर्धारित किये गये थे/ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके लिए सीपीएसई के लक्ष्य आईएमसी द्वारा कार्यवृत को अंतिम रूप देने में देरी के कारण लागू थे। एमओयू को अंतिम रूप देने और हस्ताक्षर करते समय सीपीएसई द्वारा प्रस्तुत मसौदा लक्ष्यों को संशोधित किया गया था। एमओयू की पूरी प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए प्रदान की गई समयसीमा का विस्तार एमओयू दिशानिर्देशों के विरुद्ध था, जो वित्तीय वर्ष के आरंभ से पहले लक्ष्य तय करने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय और सीपीएसई के प्रबंधन के बीच एक समझौता और अनुबंध के रूप में एमओयू को परिभाषित करता है औरवित्तीय वर्ष के पूरा होने के बाद सीपीएसई के निष्पादन का मूल्यांकन करना निहित है। इसके अलावा मेकॉन लिमिटेड (मेकॉन) ने अपने प्रशासनिक मंत्रालय के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर आईएमसी कार्यवृत्त के 44 दिनों के समापन के बाद किए।

डीपीई ने बताया (जुलाई 2019) कि एमओयू के दिशा निर्देशों के अनुसार एमओयू पर हस्ताक्षर न करने पर संयुक्त अंको से प्राप्तांक काटा गया। उत्तर को तथ्य के प्रति देखा जाए कि प्रारूप एमओयू को देरी से जमा करने पर प्राप्तांक काटे जाने का प्रावधान था परन्तु दिशा निर्देशों में एमओयू पर हस्ताक्षर करने में देरी पर प्राप्तांक काटने संबंधी कोई प्रावधान नहीं हैं।

डीपीई/प्रशासनिक मंत्रालय को एमओयू का प्रस्तुतीकरण/एमओयू की मूल्यांकन रिपोर्ट: बोर्ड के अनुमोदन के बाद वर्ष 2016-17 के लिए ड्राफ्ट एमओयू/एमओयू मूल्यांकन एमओयू दिशानिर्देश 2016-17 को प्रस्तुत करना अपेक्षित था। एमओयू दिशानिर्देश 2017-18 को सीपीएसई बोर्ड की मंजूरी के बाद निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करना भी अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि बोर्ड के अनुमोदन के बिना मंत्रालय ने 2016-17 और 2017-18 के लिए मैकॉन ने अपने ड्राफ्ट एमओयू के साथ एमओयू मूल्यांकन भी प्रस्तुत किया।

मैकॉन ने कहा (अक्टूबर 2018) कि एमओयू पैरामीटर के प्रति केवल वास्तविक उपलब्धियों को बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया जाना अपेक्षित है और उक्त को एमओयू मूल्यांकन रिपोर्ट के साथ संलग्न किया जाना है। ड्राफ्ट एमओयू को वर्ष 2016-17 के लिए एमओयू पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड की मंजूरी के साथ प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

स्पष्ट रूप से बोर्ड द्वारा अनुमोदित एमओयू ड्राफ्ट/एमओयू मूल्यांकन प्रस्तुत करना निर्दिष्ट करता है कि वर्ष 2016-17 का लिए एमओयू दिशानिर्देश के पैरा 14.3 (vii) के रूप में उत्तर स्वीकार्य नहीं है। एमओयू दिशानिर्देश 2017-18 के पैरा 13 भी बोर्ड की मंजूरी के बाद निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करना निर्दिष्ट करता है।

5.7.2 वार्षिक योजना/ बजट/ कॉर्पोरेट योजना के साथ एमओयू लक्ष्यों का संरेखण

एमओयू दिशानिर्देशों के अनुसार, एमओयू लक्ष्य सीपीएसई की वार्षिक योजना, बजट और कॉर्पोरेट योजना के अनुरूप होना चाहिए। दिशानिर्देश यह भी दर्शाते हैं कि वार्षिक योजना, वार्षिक बजट, और कॉर्पोरेट योजना की प्रति के साथ-साथ एमओयू ड्राफ्ट की एक अग्रिम प्रति डीपीई को भेजी जानी चाहिए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि तालिका 5.1 में उल्लिखित कंपनियों ने पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए थे:

तालिका 5.1

सीपीएसई द्वारा प्रस्तुत न किए गए आवश्यक दस्तावेजों का विवरण दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	सीपीएसई के नाम	2016-17			18-2017		
		वार्षिक योजना	वार्षिक बजट	कॉर्पोरेट योजना	वार्षिक योजना	वार्षिक बजट	कॉर्पोरेट योजना
1	बीएलसी		✔		✔	✔	
2	एमआरपीएल	✔		✔	✔		✔
3	हुडको	✔	✔		✔		
4	एफएसएनएल	✔		✔			
5	ओवीएल			✔			✔
6	एमएमटीसी						✔
7	केआईओसीएल						✔

बीएलसी ने कहा (सितम्बर 2018) कि कंपनी की वार्षिक योजना बोर्ड के अनुमोदन के बाद हर साल मार्च के महीने में अंतिम रूप दिया जाता है। इसलिए, अगले वित्तीय वर्ष के लक्ष्य के लिए ड्राफ्ट एमओयू (नवंबर/दिसंबर) की अग्रिम प्रति जमा करते समय वार्षिक बजट उपलब्ध नहीं था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि बीएलसी ने प्रत्येक व र्षमार्च के बाद भी डीपीई दिशानिर्देशों द्वारा आवश्यक प्रासंगिक वर्षों की वार्षिक योजना/वार्षिक बजट प्रदान नहीं किया है, जिसके परिणामस्वरूप एमओयू को अंतिम रूप देने में देरी हुई है।

एमआरपीएल ने कहा (सितंबर 2018) कि डीपीई ने उन कंपनियों को ये विवरण प्रस्तुत करने के लिए जोर दिया, जिनके लिए ये योजनाएँ उपलब्ध थीं।

हुडको ने कहा (अक्टूबर 2018) कि एमओयू लक्ष्य जो पिछले पाँच वर्षों के प्रदर्शन और कॉर्पोरेट योजना 2019-20 में प्रदान किए गए वार्षिक संचालन विवरणों के आधार पर वित्तीय और परिचालन विवरण उनके द्वारा लगाये गये अनुमानों पर आधारित थे।

तथ्य यह है कि एमआरपीएल और हुडको ने एमओयू दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया है।

एफएसएनएल, ओवीएल, एमएमटीसी और केआईओसीएल के उत्तर प्रतीक्षित हैं (जून 2019)।

5.7.3 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ बेंचमार्किंग

एमओयू दिशानिर्देश 2016-17 के अनुसार, सीपीएसई को आईएमसी के विचारार्थ लागू वित्तीय/गैर-वित्तीय मापदंडों से संबंधित राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानदंड पर जानकारी प्रदान करना था। मंत्रालयों/विभागों को क्षेत्र के निष्पादन सहित सीपीएसई के साथ-साथ 2016-17 के लिए डीपीई के लिए एमओयू भेजने के दौरान लागू मानदंडों के साथ-साथ पृष्ठभूमि पर भी ध्यान देने की आवश्यकता थी। आईएमसी को एमओयू लक्ष्य तय करते समय मानदंड सहित इस जानकारी को ध्यान में रखना था। एमओयू दिशानिर्देश 2016-17 में राष्ट्रीय स्तर पर निजी क्षेत्र में सबसे अच्छा निष्पादन करने वाली कंपनी के साथ मिनीरत्न सीपीएसई के एमओयू मानक के बेंचमार्किंग की आवश्यकता है। हालाँकि, यह आवश्यकता एमओयू दिशानिर्देश 2017-18 में बंद कर दी गई थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 11[44] सीपीएसई ने 2016-17 में राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निजी क्षेत्र में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनी के साथ बेंचमार्किंग अभ्यास नहीं किया।

इन सीपीएसई ने (सितंबर 2018 से जनवरी 2019) अपने उत्तर में कहा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क के बारे में जानकारी सीपीएसई के लिए अनिवार्य नहीं है। राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क अभी तक प्रशासनिक मंत्रालय/डीपीई द्वारा किया जाना है। बेंच मार्किंग के अभाव में, कार्यकुशलता में सुधार और प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए वर्षों के ऐतिहासिक डाटा को इकोनोमाईज किया गया।

उत्तर पुष्टि करते हैं कि ये सीपीएसई एमओयू दिशानिर्देशों का पालन नहीं करती थी औरजिस उद्देश्य के लिए बेंचमार्किंग को निर्धारित किया गया था, विफल हो गया था।

5.7.4 सीपीएसई द्वारा एमओयू और स्व-मूल्यांकन के अतंर्गत निष्पादन

5.7.4.1 महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) के एमओयू लक्ष्यों में असंगतता

एमओयू दिशानिर्देश 2016-17 ने बंद/निर्माण के अंतर्गत सीपीएसई को छोड़कर सभी सीपीएसई का एक ही प्रारूप (फॉर्म-I) निर्धारित किया। इस प्रारूप के अनुसार, 'कमजोरी के शुरुआती संकेतों' के मानदंड में पिछले वर्षों में कंपनी द्वारा ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए गए दावों में कमी शामिल थी। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय निकाय, सीपीएसई और अन्य द्वारा किये गए दावे शामिल थे।

लेखापरीक्षा ने कहा कि एससीएल के मामले में, इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य में सीपीएसई और अन्य द्वारा किये गये दावे शामिल थे जो एमओयू दिशानिर्देशों 2016-17 के अनुरूप नहीं थे। केंद्र/राज्य सरकारों के दावों सहित 31.03.2016 तक कंपनी के ₹ 4,946.95 करोड़ के प्रति कुल दावों में से, कंपनी के प्रति सीपीएई और अन्य के दावे केवल ₹ 171.88 करोड़ के ही थे। इस प्रकार, दावों के प्रमुख हिस्से को देखने की आवश्यकता थी।

---

[44] *एनएचपीसी लिमिटेड, (ii) केआईओसीएल लिमिटेड, (iii) एमआईसीओएन लिमिटेड, (iv) फेरोस्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल), (v) बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड (बीएलसी), (vi) हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हुडको), (vii) नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल), (viii) एसईसीएल, (ix)एमएमटीसी, (x) ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीसीआईएल) और (xi) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएएल)*

एमसीएल ने कहा (दिसंबर 2018) कि मंत्रालय और सीआईएल के बीच एमओयू में माने जाने वाले मापदंडों का पालन सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों (एमसीएल सहित) के बीच हुए एमओयू में किया गया था। इस प्रकार, सीआईएल के साथ एमसीएल द्वारा अंतिम रूप दिए गए मानकों के संबंध में कोई विचलन नहीं था।

तथ्य यह है कि एमसीएल के प्रति ऋणों के रूप में स्वीकार नहीं किए गये के दावों में एक बड़ा हिस्सा था, जो मुख्य रूप से केंद्र/राज्य सरकारों के दावों के कारण थे, जिन्हें वर्ष 2016-17 के लिए एमओयू पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन में इस लक्ष्य को शामिल करके सुधार किया जा सकता था।

5.7.4.2 एनएचपीसी के एमओयू के मूल्यांकन में विसंगतियां

एमओयू लक्ष्यों के प्रति एनएचपीसी लिमिटेड के निष्पादन का मूल्यांकन करते समय, निम्नलिखित विसंगतियां देखी गईं कि एमओयू 2016-17 के लिए लक्ष्य तय करते समय, जहां भी वर्ष 2015-16 वर्ष के लिए अनंतिम/अनुमानित आंकड़ों पर लक्ष्य तय किए गए थे, यह बताया गया था कि मामले में वास्तविक उपलब्धि अतंमिम आंकड़ों से बेहतर है, लक्ष्य में अंतर जोड़ा जाना था। हालांकि, निष्पादन का मूल्यांकन करते समय, एनएचपीसी ने वास्तविक आधार पर 'संचालनों से राजस्व, संचालनों से राजस्व की प्रतिशतता के रूप में संचालन लाभ और व्यापार प्राप्य' जैसे मानकों के लिए संशोधित लक्ष्य निर्धारित नहीं किये थे।

एनएचपीसी ने उत्तर दिया कि पिछले वर्ष (अर्थात् 2015-16) की उपलब्धियों के आधार पर मूल्यांकन (अर्थात् 2016-17) के अंतर्गत वर्ष के लिए एमओयू लक्ष्य की ऑफसेटिंग डीपीई/ आईएमसी/एचपीसी के दायरे में थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वर्ष 2016-17 के लिए एमओयू 08.07.2016 को हस्ताक्षरित किया गया था और उपलब्धि के वास्तविक आंकड़ों पर विचार किया जाना चाहिए था।

5.7.5 विनियामक प्रावधानों की अननुपालना

एमओयू दिशानिर्देश 2016-17 एक अतिरिक्त पात्रता मानदंड प्रदान करता है जिसके तहत सीपीएसई को लिस्टिंग समझौते और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का पालन करने के लिए कहा गया था, उसी सीमा तक सीपीएसई और वित्तीय निहितार्थ

वाले डीपीई दिशानिर्देशों का अनुपालन एमओयू दिशानिर्देश के दायरे में था। एमओयू दिशा-निर्देश 2017-18 भी केवल 'उत्कृष्ट' रेटिंग के लिए अतिरिक्त पात्रता मानदंड से ऊपर प्रदान किया गया है।

स्वतंत्र निदेशक/महिला निदेशक

भारत के प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 और सीपीएसई 2010 के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार सीपीएसई के निदेशक मंडल में 50 *प्रतिशत* स्वतंत्र निदेशक शामिल होने चाहिए। इस संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (4) और 149 (1) में भी प्रत्येक सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी में स्वतंत्र निदेशकों के रूप में कुल निदेशकों में से कम से कम एक-तिहाई और कम से कम एक-महिला निदेशक होना अपेक्षित हैं।

इस संबंध में, यह देखा गया कि:

- मैकॉन, एफएसएनएल, एमसीएल और एएआई के निदेशक मंडल को 2016-17 और 2017-18 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यक संख्या द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं किया गया था, जबकि 2016-17 के दौरान ओवीएल के पास अपने बोर्ड में आवश्यक संख्या नहीं थी।
- 2016-17 और 2017-18 के दौरान मैकॉन और एफएसएनएल बोर्ड में कोई महिला निदेशक नहीं रही हैं। 2016-17 के दौरान एमसीएल, एसईसीएल, और एनआरएल बोर्ड में भी महिला निदेशक नहीं थीं।
- केआईसीओएल, आरसीएफ, सीपीसीएल, एनएचपीसी, एमएमटीसी, डीसीआईएल, हुडको, बीएलसी और एनएफएल द्वारा उपरोक्त प्रावधान का अनुपालन पर अध्याय 3 के पैरा क्रमांक 3.2.2 में टिप्पणी, यदि कोई है तो की गयी है क्योंकि ये सूचीबद्ध कंपनियाँ हैं।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि एमओयू 2016-17 दिशानिर्देशों के अतिरिक्त पात्रता मानदंडों के अनुपालन को प्रमाणित करते हुए, इन सीपीएसई ने गलत/अपूर्ण प्रमाणीकरण के कारण मंत्रालय/डीपीई को उपरोक्त उल्लंघनों को नहीं दर्शाया।

5.7.6 वित्तीय निहितार्थ वाले डीपीई दिशानिर्देशों की अननुपालना: सीपीएसई

5.7.6.1 सीपीएसई के पूंजी पुनर्गठन पर दिशानिर्देशों का अनुपालन:

सीपीएसई के पूंजी पुनर्गठन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, सीपीएसई के पास कम से कम ₹ 2000 करोड़ की कुल पूंजी है और ₹ 1000 करोड़ से अधिक नकद और बैंक शेष है, वापस खरीद के उद्देश्य हेतु मानक[45] पर वित्तीय वर्ष के बंद होने के बाद पहली बोर्ड मीटिंग में विचार-विमर्श और विवेचन करना चाहिए।

हालांकि, यदि कोई भी सीपीएसई उपरोक्त दिशानिर्देशों का पालन करने में सक्षम नहीं है, तो इसके प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के माध्यम से निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) से छूट प्राप्त की जानी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एनएचपीसी और केआईओसीएल के पास 2016-17 के दौरान क्रमश: ₹ 2,000 करोड़ और ₹ 1,000 करोड़ की राशि से अधिक अपने निवल पूंजी और नकद और बैंक शेष थे, इस प्रावधान का पालन नहीं किया गया और इन कंपनियों को कोई छूट भी नहीं दी गई। डीपीई ने इन सीपीएसई को एमओयू पर स्कोर प्रदान करते हुए माना कि सभी अनुपालन किये गये हैं।

दोनों सीपीएसई का उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2019)।

5.7.6.2 लीज रेंट रिकवरी के संबंध में डीपीई दिशानिर्देशों का अनुपालन:

डीपीई दिशानिर्देशों (दिनांक 20 मार्च, 2012) के अनुसार, सीपीएसई को मूल वेतन या वास्तविक किराये के 10 *प्रतिशत* की दर पर जो भी पट्टे के संबंध में कम की वसूली अपने कर्मचारी से की जानी अपेक्षित थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2016-17 और 2017-18 के दौरान उपरोक्त दिशानिर्देशों में एनएचपीसी ने उनके द्वारा तय दरों पर किराया वसूल किया था जो निर्धारित दरों से कम था। 2016-17 के दौरान डीपीई ने स्कोर में पूर्ण अंक प्रदान किये।

एनएचपीसी का उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2019)।

---

[45] *(i) नकद और बैंक बैलेंस, (ii) पिछले 3 वर्षोंमें अर्जित सीएपीईएक्स के संदर्भ में किए गए पूंजीगत व्यय और व्यवसाय विस्तार, (iii) कुल पूंजी(फ्रीभंडार और पूँजी सहित अन्य भंडार (यदि कोई हो), और (iv)) दीर्घ कालिक उधार और इसके 'नेटवर्थ' के आधार पर उधार लेने की आगे की क्षमता, (v) निकट भविष्य में कोई अन्य वित्तीय प्रतिबद्धता, (vi) व्यवसाय/अन्यप्राप्तियां और आकस्मिक देयताएं, यदि कोई हो; और (vii) बाजार मूल्य/शेयर का बुक मूल्य*

5.7.6.3 वेतन संशोधन दिशानिर्देशों का अनुपालन:

डीपीई ओएम दिनांक 26 नवंबर, 2008 के अनुसार, सीपीएसई को डीपीई द्वारा निर्धारित स्तर ई0 से ई9 तक अपने अधिकारियों के लिए ग्रेड और अनुरूप वेतनमान का पालन करना होगा। लेखापरीक्षा में पाया गया कि एमआरपीएल ने ग्रेड ई1 से ई6 और ग्रेड ई7 के अधिकारियों के लिए निर्धारित पैमाने से एक स्केल अधिक की तुलना में अपने अधिकारियों के लिए डीपीई द्वारा निर्धारित वेतनमान के दो पैमानों की अनुमति दी थी। आवश्यक अनुपालन के लिए कार्यकारी ग्रेड के गैर-अनुपालन पर स्पष्टीकरण जारी किया गया था (24 दिसंबर, 2012)। इस निर्देश का पालन न करने से वित्तीय निहितार्थ के साथ डीपीई दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया गया है।

एमआरपीएल ने कहा कि उन्होंने वेतनमान और भत्ते तय कर दिए थे और बोर्ड की मंजूरी के बाद पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमोपीएनजी) को सूचित किया। एमओपीएनजी के पत्र दिनांक 28 अप्रैल, 2009 द्वारा राष्ट्रपति के निर्देश को लागू करने के लिए कहा गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अध्यक्षीय निर्देश दिनांक 28 अप्रैल, 2009 में विशेष रूप से एमआरपीएल को डीपीई ओएम दिनांक 26 नवंबर, 2008 में निहित दिशानिर्देशों के अनुसार कड़ाई से लागू करने का निर्देश दिया।

5.7.6.4 निष्पादन संबंधी भुगतान दिशानिर्देशों का अनुपालन:

डीपीई दिशानिर्देश (सितंबर 2013) के अनुसार, निष्पादन से संबंधित भुगतान (पीआरपी) केवल सीपीएसई की मुख्य व्यावसायिक गतिविधियों से प्राप्त लाभ के आधार पर वितरित किया जा सकता है और निष्क्रिय नकदी/बैंक शेष पर ब्याज कर से पहले लाभ (पीबीटी) से घटाया जा सकता है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि एनएफएल ने 2016-17 में गैर-मुख्य व्यावसायिक गतिविधियों से आय को समायोजित/घटाए बिना पीबीटी पर विचार कर निष्पादन संबंधित भुगतान (पीआरपी) किया। इसके अलावा, डीपीई के दिशानिर्देशों (26 नवंबर 2008) के अनुसार, पीआरपी की गणना बेल कर्व एप्रोच[46]को लागू करके की जाएगी, अर्थात वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रेटिंग (एपीएआर) जिसमें 10

[46] *निष्पादन मूल्यांकन की बेलकर्व प्रणाली मानती है कि किसी कंपनी में कर्मचारियों को उच्च निष्पादनकर्ता, (शीर्ष 20 प्रतिशत), औसत निष्पादनकर्ता (मध्य 70 प्रतिशत) और गैर-निष्पादनकर्ता या औसत निष्पादनकर्ता (नीचे 10 प्रतिशत) के समूहों में विभाजित किया जा सकता है।*

प्रतिशत कार्यकारियों की रेटिंगको "औसत से नीचे" माना जाएगा और इन कार्यकारियों को किसी पीआरपी का भुगतान नहीं किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- वर्ष 2016-17 के दौरान एनएफएल में 1,819 कार्यकारी (बोर्ड स्तर के कार्यकारी को छोड़कर) थे। अंतिम एपीएआर रेटिंग के आधार पर, कंपनी ने 182 कार्यकारियों को छोड़कर 1,637 कार्यकारी को पीआरपी का भुगतान किया,जो बेल कर्व दृष्टिकोण के "औसत से नीचे" की श्रेणी में आते हैं। हालांकि, एनएफएल के फेडरेशन ऑफ ऑफिसर्स एसोसिएशन के अनुरोध पर, एनएफएल ने 2016-17 के लाभ से नीचे की श्रेणी में आने वाले 182 कार्यकारियों में से प्रत्येक 104 कार्यकारियों को ₹ 10,000 का एकमुश्त भुगतान किया। इसके अलावा, एनएफएल ने प्रत्येक 60 पूर्व-कर्मचारियों (कार्यकारी) को ₹ 12,500 का एकमुश्त भुगतान किया, जो वर्ष 2015-16 के दौरान सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन उन्होंने वर्ष 2015-16 के लिए अपनी स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की।
- डीपीई दिशानिर्देश (26 नवंबर 2008) द्वारा प्रदान की गई बेल कर्व एप्रोच के उल्लंघन में 'न्यूनतम 5 *प्रतिशत* या औसत से नीचे श्रेणी' के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए हुडको ने 2016-17 के लिए पीआरपी का भुगतान किया।
- 2016-17 के लिए 1.22 *प्रतिशत* की कोई पीआरपी एनएचपीसी ने प्रदान नहीं की क्योंकि 10 *प्रतिशत* कर्मचारियों की आवश्यकता के प्रति 'औसत से नीचे' मानकर डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी पीआरपी का भुगतान नहीं किया जाएगा, एमओयू।

अयोग्य कर्मचारियों को पीआरपी के निश्चित भुगतान के बारे में तथ्यों की पुष्टि करते हुए, एनएफएल ने कहा (अक्टूबर 2018) कि गैर-परिचालन आय के रूप में वर्गीकृत अन्य आय एक दूरस्थ स्थान पर स्थित उर्वरक संयंत्र की मुख्य गतिविधियों का हिस्सा है, एनएफएल ने भी इन प्रस्तावित आय के संबंध में खर्च किया है और इसलिए, कंपनी द्वारा किए गए संबंधित व्यय के समायोजन के बाद ये आय उस सीमा तक कम हो जाएगी। इसके अलावा, 2016-17 के दौरान, अन्य आय कोर व्यावसायिक गतिविधियों से

एनएफएल के लिए बढ़ गई है। इसलिए, डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार 2016-17 के लिए अधिकारियों को पीआरपी का सही भुगतान किया गया है।

एनएफएल का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि डीपीई दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया गया है, व प्रकृति अनुसार यह अनिवार्य है।

हुडको ने कहा (अक्टूबर 2019) कि हताशापूर्ण व्यावसायिक परिवेश को बढावा देने के कारण बेल कर्व कार्यशैली को समाप्त कर दिया गया है। हुडको का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दिशानिर्देशों में बदलाव 01.08.2017 से ही प्रभावी हुआ है।

एनएचपीसी का उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2019)।

5.7.7 एमएसएमई दिशानिर्देशों की अननुपालना

सार्वजनिक खरीद नीति के अनुसार, प्रत्येक सीपीएसई कोसूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) से 20 *प्रतिशत* की कुल न्यूनतम खरीद प्राप्त करना है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई के 20 *प्रतिशत* से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद का चार *प्रतिशत* उप-लक्ष्य है।

लेखापरीक्षा ने कहा कि, डीसीआईएल और एनएचपीसी ने 2016-17 और 2017-18 के दौरान उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया। इसके अतिरिक्त 2016-17 और 2017-18 के दौरान केआईओसीएल, एफएसएनएल मेकॉन, एमसीएल, एसईसीएल, एनएफएल, बीएलसी, एमआरपीएल और 2016-17 के दौरान एनआरएल, ओवीएल और 2017-18 के दौरान सीपीसीएल हुडको की माल और सेवा खरीद के चार *प्रतिशत* के उप-लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रही।

एफएसएनएल और केआईओसीएल ने कहा (अक्टूबर 2018) कि एससी/एसटी उद्यमियों द्वारा एमएसई से खरीद को बढ़ावा देते हुए, विक्रेताओं के पास जाये, विकास कार्यक्रम, विभिन्न राष्ट्रीय और स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन नोटिस डेटा बैंक को अपडेट करने का प्रयास किया गया।

हुडको ने कहा (अक्टूबर 2018) कि वर्ष 2017-18 के दौरान एमएसएमई से वास्तविक खरीद ₹ 13.59 करोड़ की थी, जिसके प्रति एमएसई से कुल खरीद ₹ 4.77 करोड़ थी

जिसमें एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से ₹ 0.29 करोड़ शामिल थे। इस प्रकार, 20 *प्रतिशत* खरीद का लक्ष्य प्राप्त किया गया था।

तथ्य यह है कि इन सीपीएसई ने एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीद का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया था।

डीसीआईएल ने कहा (नवंबर 2018) कि उन्होंने अपने प्रशासनिक मंत्रालयों के माध्यम से एमएसएमई के लिए सार्वजनिक खरीद नीति से छूट के लिए अनुरोध किया था।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय ने अभी तक उपरोक्त दिशानिर्देशों से कोई छूट नहीं दी है और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार एमओयू स्कोर को कम नहीं किया गया है।

एनएचपीसी ने कहा (फरवरी 2019) कि एमएसई ऑर्डर 2012 के लिए सार्वजनिक खरीद नीति एमएसई द्वारा उत्पादित उत्पादों और सेवाओं के लिए लागू है। इसलिए, कुल वार्षिक खरीद मूल्य से वास्तविक उपकरण निर्माता (ओइएम) से खरीदे गये माल, मैगा जोखिम और सीपीएम बीमा निति आदि को छोड़कर एमएसई से वस्तुओं/सेवाओं के समेकित मूल्य का 20 *प्रतिशत* के अनिवार्य लक्ष्य के प्रति 2017-18 के दौरान ₹ 532.08 करोड़ के कुल वार्षिक खरीद मूल्य का 25.56 *प्रतिशत* था।

नीति के अनुसार उत्तर स्वीकार्य नहीं है, कम से कम 20 *प्रतिशत* सकल खरीद एमएसई के माध्यम से होनी चाहिए। एनएचपीसी ने उन वस्तुओं/उपकरणों/सेवाओं को छोड़ने के लिए एमएसएमई से छूट मांगी है जो या तो स्वरूप से ओईएम स्वामित्व हैं और/या कुल खरीद मूल्य से एमएसई द्वारा निर्मित/प्रदान नहीं किए गए हैं जो अभी भी प्रतीक्षित था।

मेकॉन, एमसीएल, एसईसीएल, एनएफएल, बीएलसी, एमआरपीएल और ओवीएल के उत्तर प्रतीक्षित थे (अप्रैल 2019)।

5.7.8 एमओयू रेटिंग और संबंधित वेतन निष्पादन पर लेखापरीक्षा विश्लेषण का प्रभाव

2016-17 के लिए एमओयू दिशानिर्देशों केखंड 14.2 और 14.3 आठ अतिरिक्त पात्रता मानदंडों[47] का अनुपालन प्रदान करते हैं। शर्तों में से किसी एक का भी पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप सीपीएसई को "उत्कृष्ट" (90 से अधिक स्कोर) से कम होकर

[47] *नीति के अनुपालन मै. माइक्रों एंड मीडियम इंटरप्राईजिस आदि द्वारा जारी सुक्षम और लघु उद्यश्य के लिए वित्तीय निहितार्थ के साथ अनुपालन डीपीई दिशानिर्देशों का अनुपालन सार्वजनिक खरीद।*

"बहुत अच्छा" (स्कोर 70 से अधिक और समान या 90 से कम) हो रहा है, और उत्कृष्ट के अतिरिक्त रेटिंग के मामले में समग्र स्कोर को 5 के स्कोर से कम किया जाना था। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2016-17 के लिए एमओयू दिशानिर्देशों के खंड 14.5 के अनुसार, अतिरिक्त पात्रता मानदंडों में से प्रत्येक का अनुपालन सीपीएसई के बीओडी द्वारा पुष्टि/प्रमाणित किया जाना था।

इसके अलावा, एमओयू दिशानिर्देश 2017-18 (पैरा 14.2) ग्यारह अतिरिक्त मानदंडों का अनुपालन दर्शाता है। प्रत्येक मानदंड का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप स्कोर में 1 अंक की कमी (अधिकतम 5 अंक के संदर्भ में) होगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 9[48] सीपीएसई के निदेशक मंडल ने वर्ष 2016-17 और 2018 के लिए एमओयू के मूल्यांकन को प्रस्तुत करते हुए डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन को प्रमाणित किया था, जबकि इन सीपीएसई के हिस्से पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन में खामियां थीं, जैसाकि पैरा 5.7.6 और 5.7.7 में दर्शाया गया है।

डीपीई ने डीपीई दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने के कारण एनएफएल, एनएचपीसी, एमआरपीएल और मेकॉन के स्कोर में कटौती की है जबकि 2016-17 के दौरान डीपीई दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने के कारण डीपीई ने एफएसएनएल, ओवीएल, हुडको, केआईओसीएल, और बीएलसी के किसी भी स्कोर में कटौती नहीं की हैऔर दिशानिर्देशों के अनुपालन के रूप में इन मामलों को गलत तरीके से पूर्ण स्कोर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप दो सीपीएसई अर्थात हुडको और ओवीएल को बहुत अच्छे की अपेक्षा उत्कृष्ट रेटिंग की ओवर रेटिंग और पीआरपी के उच्च भुगतान पर इसका प्रभाव पड़ा।

डीपीई ने बताया (जुलाई 2019) कि विभिन्न अनुपालनों को बोर्ड संकल्प के आधार पर स्वीकृत किया गया। बोर्ड संकल्प में गलत सूचना देना कंपनी अधिनियम, 2013 का उल्लंघन है और अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय है।

उत्तर को तथ्य के प्रति देखा जाए कि एमएसई दिशा निर्देशों, 2012 के अनुपालन में सेवाओं और वस्तुओं की 4 प्रतिशत खरीद का एमएसई (एससी/एसटी) से करने का उपलक्ष्य था, जैसाकि पैरा सं 5.7.7 में चर्चा की गई हैं। ओबीएल ने अपने पत्र दिनांक

---

[48] *(i) एफएसएनएल, (ii) एनएफएल, (iii) ओवीएल, (iv) एनएचपीसी, (v) हुडको, (vi) एमआरपीएल, (vii) केआईओसीएल (viii) मेकॉन, (ix) बीएलसी और (x) एमआरपीएल*

27.06.2017 द्वारा सूचित किया कि 2016-17 में एमएसई (एससी/एसटी) से खरीद 0.46 प्रतिशत थी परन्तु डीपीसी/आईएमसी ने इस सूचना का संज्ञान नहीं लिया जिसका परिणाम उच्चतर रेटिंग रहा। तथ्य यह रहा कि सूचना का सत्यापन न किए जाने के कारण ओवर रेटिंग रही तथा पीआरपी के अधिक भुगतान पर इसका प्रभाव पड़ा।

5.8 निष्कर्ष और सिफारिशें

2016-17 और 2017-18 के लिए 17 'मिनीरत्न' कंपनियों के एमओयू के विश्लेषण से पता चला कि एमओयू को अंतिम रूप देने और हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया में देरी हुई और परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष जिसके लिए लक्ष्य लागू थे; की पहली तिमाही के बाद एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। एमओयू दिशानिर्देशों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के संदर्भ में मानकों का मानदंड निर्धारित किया है। हालांकि, ग्यारह सीपीएसई ने बेंचमार्किंग को नहीं अपनाया है। एमओयू में निर्धारित लक्ष्यों के प्रति मूल्यांकन के संबंध में, सात सीपीएसई के संबंध में मापदंडों के प्रति निष्पादन का अनुचित मूल्यांकन भी देखा गया था। सीपीएसई ने अपने बोर्ड में गैर-आधिकारिक निदेशकों को भरने और स्वतंत्र और महिला निदेशकों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन के लिए एमओयू में प्रशासनिक मंत्रालय से आवश्यक प्रतिबद्धता को शामिल नहीं किया। नौ सीपीएसई में स्वतंत्र और महिला निदेशकों के कुछ पद खाली पड़े थे। इसके अलावा, दस सीपीएसई ने एमएसएमई दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया। ग्यारह सीपीएसई ने वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए डीपीई दिशानिर्देशों के अंतर्गत अतिरिक्त पात्रता मानदंड के गलत प्रमाण पत्र को गलत प्रमाणीकरण को प्रस्तुत किया, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए 'वेरी गुड' की अपेक्षा हडको और ओवीएल को उत्कृष्ट रेटिंग मिली परिणामस्वरूप पीआरपी का अधिक भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा डीपीई, सीपीएसई और उनके प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा विचार और कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित सिफारिशों का सुझाव देता है:

- यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, सीपीएसई के बेहतर प्रदर्शन के लिए लक्ष्य निर्धारण पर ध्यान दिया जा सकता है, निर्धारित समय के भीतर एमओयू तैयार और अंतिम रूप से तय किए गए हैं।

- डीपीई पर सत्यापन प्रक्रिया को यह सुनिश्चित करने के लिए मजबूत किया जा सकता है कि किसी भी अधूरी या गलत जानकारी और/या प्रमाणीकरण को अन्य मंत्रालयों और हितधारकों के साथ उचित समन्वय के माध्यम से एमओयू के अंतिम मूल्यांकन से पहले पता लगाया जा सकता है।